PLAN INTERNATIONAL

www.planindia.org

# PROJECT GARIMA

## EQUALITY • LAW • ENTITILEMENT

# विषय सूची


01 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 2

02 दहेज निषेध अधिनियम, 1961 4

03 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 7

04 बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 10

05 महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 15

06 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध 22

07 महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 25

08 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 28

# 01

# बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

## बाल विवाह क्या है?

ऐसा विवाह जिसमें लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक बच्चा हो, जो इस कानून द्वारा निषिद्ध है। एक बच्चे का अर्थ है:

ऐसे लड़के जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

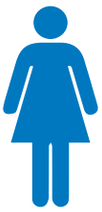

ऐसी लड़कियां जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) प्रत्येक क्षेत्र के लिए नामित हैं जो इस कानून के प्रावधानों को लागू करने और बाल विवाह होने की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार हैं।

**निम्न परिस्थितियों में बाल विवाह अमान्य हैं:**

- अगर बच्चे को अभिभावक की कस्टडी से ले जाया गया हो या बहला–फुसलाकर ले जाया गया हो
- अगर बच्चे को जबरदस्ती या धोखे से किसी जगह से जाने के लिए उकसाया गया हो तो
- अगर शादी के लिए बच्चे को बेचा जाता है या शादी के बाद बच्चे को बेच दिया जाता है या उसकी तस्करी की जाती है

## जिला न्यायालय में एक याचिका दायर करके बाल विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता हैः

यह केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो विवाह के समय बच्चा था

यह याचिका तब तक दायर की जा सकती है जब तक बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का होता है, एक अभिभावक या मित्र के माध्यम से सीएमपीओ की मदद से दायर किया जा सकता है

व्यक्ति के 18 वर्ष का होने के बाद, उसके पास सीएमपीओ की सहायता से याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त 2 वर्ष का समय होता है

किसी भी मामले में, व्यक्ति को 20 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ऐसी याचिका दायर की जानी चाहिए

जब एक लड़की जो शादी के समय एक बच्ची थी, शादी को रद्द करने के लिए जिला अदालत में याचिका दायर करती है, तो वह पुनर्विवाह होने तक अपने निवास के लिए भरण–पोषण और प्रावधान की भी हकदार होती है।

18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए बच्चे की शादी करना एक आपराधिक अपराध है। सजा में दो साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

बाल विवाह करने, संचालित करने, निर्देशित करने या अनुमति देने में शामिल किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। विवाह को रोकने में विफल रहने या बाल विवाह में भाग लेने/शामिल होना भी दंडनीय है। उदाहरणः

- बच्चे के माता–पिता/अभिभावक
- समारोह का संपादन/प्रदर्शन करते पुजारी
- शादी के आयोजन में शामिल दोस्त और परिवार
- शादी में शामिल होने वाले मेहमान

कोई भी व्यक्ति जो जानता है/विश्वास करता या मानता है कि बाल विवाह हो रहा है, अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। वे सीएमपीओ को भी सूचित कर सकते हैं।

# 02

# दहेज निषेध अधिनियम, 1961

## दहेज क्या है?

दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जैसेः

- एक पक्ष द्वारा विवाह के लिए दूसरे पक्ष द्वारा विवाह के लिए या
- किसी भी पक्ष के माता–पिता द्वारा या
- किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष के लिए

ऐसा ''दहेज'' कब–कब दिया जा सकता हैः

- शादी के पहले
- शादी के समय
- शादी के बाद
- भुगतान प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है

## दहेज क्या नहीं है?

शादी के संबंध में महर या दहेज, जहां शरीयत/मुस्लिम कानून लागू होता है

बच्चे के जन्म के समय बच्चे को दिए जाने वाले प्रथागत भुगतान

स्त्रीधनः विशेष रूप से दुल्हन से संबंधित संपत्ति

दूल्हा/दुल्हन को बिना किसी मांग के दिया गया उपहार

ऐसे उपहारों को अधि नियम के तहत बनाई गई सूची के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए

ऐसे उपहारों का मूल्य उपहार देने वाले/जिसकी ओर से उपहार दिया गया है, उसकी वित्तीय स्थिति से अधिक नहीं होना चाहिए

प्क्या दहेज देना या स्वीकार करना दंडनीय है?
हां, क्योंकि यह एक आपराधिक अपराध है।

क्या विवाह के समय वर या वधू को उपहार देना दंडनीय है?
नहीं। यदि उपहार स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से दिए जाते हैं। ऐसे उपहार देना स्थानीय प्रथा का हिस्सा होना चाहिए और उनका मूल्य देने वाले की वित्तीय क्षमता के अनुपात में होना चाहिए।

### दहेज विनिमय के लिए किसे दंडित किया जा सकता है?

- दहेज मांगने वाला कोई भी व्यक्ति
- दहेज देने वाला कोई भी व्यक्ति
- दहेज प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति
- कोई भी व्यक्ति जो दहेज लेने/देने में सहायता करता है
- कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे (बेटा/बेटी दोनों) की शादी के लिए किसी भी कीमती सामान की पेशकश करने वाले अखबार/किसी अन्य मीडिया में विज्ञापन देता है।

## क्या दहेज मांगना दंडनीय है?

हां। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर दंड निम्नानुसार है:

| अधिनियम प्रतिबद्ध | दंड |
|---|---|
| दहेज की मांग | न्यूनतमः 6 महीने की कैद<br>अधिकतमः 2 वर्ष कारावास/<br>जुर्माना रु. 10,000/– |
| दहेज प्राप्त करना | 5 साल की कैद/<br>जुर्माना रु. 15,000/– |
| दहेज देना | 5 साल की कैद/<br>जुर्माना रु. 15,000/– |
| दहेज लेने/देने में सहायता करना | 5 साल की कैद/<br>जुर्माना रु. 15,000/– |

# 03

# घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

## किस प्रकार के दुर्व्यवहारों को कवर किया गया है?

शारीरिक शोषण–मारना, थप्पड़ मारना, धक्का देना, दम घुटना, गला घोंटना, शारीरिक धमकी देना

यौन शोषण–जबरन यौन संबंध बनाना, पीड़ित को पोर्नोग्राफी देखने के लिए मजबूर करना, यौन अपमान और अवनति

मौखिक और भावनात्मक शोषण – अपमान, तिरस्कार, नाम–पुकार, अपमान, दोषारोपण, धमकी, संतान न होने पर अपमान, दहेज न लाने पर अपमान

आर्थिक शोषण – जरूरतों के लिए पैसे न देना, भोजन/कपड़े/दवाएं उपलब्ध न कराना, संयुक्त या अलग स्वामित्व वाली संपत्ति का नियंत्रण छीन लेना, पीड़ित को रोजगार न मिलने देना, स्त्रीधन बेचना/गिरवी रखना

## कौन हो सकता है पीड़ित?

पत्नी को पति और/या उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है

अविवाहित महिला साथी का लिव–इन पुरुष साथी और/या उसके रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है

परिवार में पुरुष रिश्तेदार द्वारा मां, बहन या किसी अन्य महिला रिश्तेदार के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है

महिला बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) का परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है

## घरेलू हिंसा की शिकायत किसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है?

- वयस्क पुरुष, जो महिला के साथ घरेलू संबंध में है
- पति या पुरुष साथी के रिश्तेदार।

उदाहरण के लिएः सास, ससुर, भाभी, साला, पुरुष साथी की मां, पुरुष साथी का पिता, पुरुष साथी की बहन, पुरुष साथी का भाई।

## घरेलू हिंसा के लिए मुआवजा क्या है?

घरेलू हिंसा का शिकार व्यक्ति को हुई चोट, मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

## घरेलू हिंसा के मामले की रिपोर्ट कैसे करें?

- जिस व्यक्ति के साथ हिंसा की जा रही है, वह ऐसी घटना की सूचना पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या सुरक्षा अधिकारी को दे सकता है
- कोई भी व्यक्ति (संबंधित या नहीं) जो यह मानता है कि घरेलू क्षेत्र में यानी एक वैवाहिक जोड़े, लिव–इन पार्टनर या यहां तक कि अजनबियों के बीच कोई हिंसा की जा रही है, वह सुरक्षा अधिकारी को ऐसी संदिग्ध हिंसा के बारे में जानकारी दे सकता है।

## जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें:

ऐसी शिकायत पर सुरक्षा अधिकारी (पीओ) एक घरेलू घटना रिपोर्ट (या ''डीआईआर'') बनाएगा, और उसे एक पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करेगा

पीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति की मुफ्त कानूनी सहायता/वकील तक पहुंच है (नोटः भले ही यह इस स्तर पर प्रदान न किया गया हो, किसी भी स्तर पर महिला को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है)

यदि पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक चोट लगी है, तो जल्द से जल्द चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए और एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए (चिकित्सक को यह बताना जरूरी होगा कि चोट कैसे लगी ताकि इसे रिपोर्ट में दर्ज किया जा सके)

पीड़ित व्यक्ति को एक सुरक्षित आश्रय गृह प्रदान किया जाना चाहिए

पीड़ित व्यक्ति सीधे किसी आश्रय गृह, या किसी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा से संपर्क कर सकता है

# 04

# बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

पॉक्सो 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को 'बच्चा' मानता है। यह यौन शोषण की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है। पॉक्सो के तहत बच्चे के मुंह, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग में गैर–योनि प्रवेश और वस्तुओं को सम्मिलित करना यौन शोषण की श्रेणी में आता है।

उम्र या लिंग की परवाह किए बिना यदि कोई व्यक्ति निम्न कार्य करता है, तो इसे अपराध माना जाएगाः

- कोई भी कार्य जो स्पष्ट यौन प्रकृति का है, जिसमें बच्चे के शरीर के किसी भी अंग के साथ या बिना प्रवेश के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाता है
- किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे के प्रति यौन प्रकृति को उजागर करना
- सीधे तौर पर यौन प्रकृति की अवांछित मौखिक टिप्पणियां, या यहां तक कि यौन स्वर होना/बच्चे से की गई बातचीत/टिप्पणियों में यौन रूप से रंगीन होना, या किसी बच्चे को किसी लिखित संचार में
- यौन अनुग्रह के लिए पूछना, किसी भी ''खेल'' को खेलने का सुझाव देना या ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होना जिसमें लिंग/योनि/गुदा/स्तन शामिल हो
- किसी बच्चे की सहमति के बिना उसका नग्न शरीर दिखाना, या बच्चे को अपना नग्न शरीर दिखाने के लिए कहना

  बच्चे को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना

  बच्चे को किसी निजी स्थान पर कपड़े उतारते हुए देखना, या बच्चे को आपको कपड़े उतारते हुए देखने के लिए कहना

- बच्चे को कोई निजी कार्य करते हुए देखना (जहां बच्चे के निजी अंग उजागर होते हैं, बच्चे को शौचालय का उपयोग करते समय देखना, बच्चे को ऐसी किसी भी स्थिति में देखना जहां बच्चे को देखने की उम्मीद नहीं है – या तो खुद या किसी और के माध्यम से)

- किसी बच्चे के किसी अन्य व्यक्ति के साथ निजी कृत्य में लिप्त किसी बच्चे की कोई फोटो/ वीडियो/वॉयस रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना, या अकेले जहां गोपनीयता अपेक्षित है।

- अपराधी के साथ एक निजी कृत्य में लिप्त बच्चे के किसी भी फोटो/वीडियो/वॉयस रिकॉर्डिंग को किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रसारित करना, जहां गोपनीयता की अपेक्षा की जाती है, चाहे वह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हो या नहीं

- बच्चे के यौन अंगों का प्रतिनिधित्व करने के माध्यम से, किसी भी मीडिया (प्रिंट, प्रौद्योगिकी/ इंटरनेट, टेलीविजन, विज्ञापन) में यौन संतुष्टि के प्रयोजनों के लिए एक बच्चे का उपयोग करना

- किसी भी प्रकार के वास्तविक या नकली यौन कृत्यों में लिप्त बच्चे को शामिल करने वाले मीडिया का उपयोग करके, किसी भी प्रकार के मीडिया (प्रिंट, प्रौद्योगिकी/इंटरनेट, टेलीविजन, विज्ञापन) में यौन संतुष्टि के प्रयोजनों के लिए एक बच्चे का उपयोग करना

- यौन संतुष्टि के प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना, मीडिया के किसी भी रूप (प्रिंट, प्रौद्योगिकी/इंटरनेट, टेलीविजन, विज्ञापन) में किसी बच्चे के अश्लील/अश्लील प्रतिनिधित्व वाले मीडिया के साथ

- एक बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण

- बच्चे के सामने, या बच्चे को ध्यान में रखते हुए, या बच्चे द्वारा देखे जा रहे ज्ञान के साथ स्वयं को यौन रूप से हस्तमैथुन/स्पर्श करना

- बच्चे का पीछा करना/अनुसरण करना और बातचीत करने के लिए बार–बार प्रयास करना, विशेष रूप से यौन गतिविधि, यौन रुचियों, रोमांस आदि के संबंध में।

| अपराध | विवरण | परिणाम – जमानत/गिरफ्तारी |
|---|---|---|
| पेनेट्रेटिव यौन हमला (एस. 3) | बच्चे के योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, मुंह में लिंग, वस्तु या शरीर के किसी भाग के साथ सम्मिलन, प्रवेश या किसी भी प्रकार का हेरफेर | 7 साल – आजीवन कारावास. जुर्माना |
| गंभीर भेदन यौन हमला (एस. 5) | बच्चे पर 'अधिकार में व्यक्ति' (शिक्षक, प्रधानाचार्य, परिवार के सदस्य, सशस्त्र के सदस्य, पुलिस अधिकारी आदि) द्वारा बच्चे के योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, बच्चे के मुंह में लिंग, वस्तु या शरीर के किसी भाग के साथ सम्मिलन, प्रवेश या किसी भी प्रकार का हेरफेर<br>और/या अगर बच्चे को कोई अतिरिक्त नुकसान या चोट लगती है (गिरोह का यौन हमला, हथियारों, गर्म/संक्षारक पदार्थों का उपयोग करना), बच्चे को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाता है, बच्चे को मानसिक रूप से बीमार बनाता है, बच्चे को गर्भवती बनाता है बच्चे को एचआईवी देता है, बच्चे की मृत्यु का कारण बनता है) | 10 साल – आजीवन कारावास. जुर्माना |
| यौन हमला (एस. 7) | बच्चे की योनि, लिंग, गुदा, स्तन को छूना या यौन इरादे से बच्चे के साथ कोई शारीरिक संपर्क बनाना, गंभीर भेदन इसमें शामिल नहीं है | 3–5 साल की कैद. जुर्माना |

| अपराध | विवरण | परिणाम – जमानत / गिरफ्तारी |
|---|---|---|
| गंभीर यौन हमला (एस. 9) | बच्चे की योनि, लिंग, गुदा, स्तन को छूना, या बच्चे पर 'अधिकार में व्यक्ति' (शिक्षक, प्रधानाध्यापक, परिवार के सदस्य आदि) द्वारा यौन इरादे से बच्चे के साथ कोई शारीरिक संपर्क बनाना।<br>और / या यदि बच्चे को कोई अतिरिक्त नुकसान या चोट लगती है | 5–7 साल कैद. जुर्माना |
| यौन उत्पीड़न (एस. 11) | कोई भी शब्द (ओं), ध्वनि (ओं), हावभाव (ओं) का यौन आशय है, किसी बच्चे के सामने शरीर के किसी भी अंग को प्रदर्शित करना, दिखाना, यौन इरादे से अश्लीलता। बच्चे को शरीर के किसी अंग का प्रदर्शन कराना, बच्चे का पीछा करना, अश्लील मीडिया के इस्तेमाल की धमकी देना | तीन साल तक की कैद. जुर्माना |
| अश्लीलता (एस. 13) | अश्लीलता उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करना, और / या चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली सामग्री के मीडिया को संग्रहित करना, चाहे वह व्यक्तिगत उपभोग और / या वितरण के लिए हो | पोर्नोग्राफी में किए गए कृत्यों की प्रकृति के अनुसार सजा भिन्न होती है |

नोटः बच्चों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें पॉक्सो के तहत अपराध माना जाता है, चाहे वे किसके द्वारा किए गए हों, और उनकी उम्र, लिंग, बच्चे के साथ संबंध के बावजूद, ऐसे कृत्यों में बच्चे की सहमति महत्वहीन है।

पॉक्सो बच्चों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों का अपराधीकरण करता है और परीक्षण, जांच, और चिकित्सा परीक्षण की बाल–अनुकूल प्रक्रिया प्रदान करता है। पॉक्सो मामलों को विशेष न्यायालयों को भेजा जाता है, जो सत्र न्यायालय हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर पॉक्सो के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए नामित किया गया है।

पॉक्सो इस आधार पर काम करता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यौन क्रियाओं के लिए सहमति नहीं दे सकते हैं, यह आयु निर्धारित करते हुए कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में यौन गतिविधियों के लिए सहमति दे सकता है।

## सहमति की उम्र

पॉक्सो के तहत, किसी भी यौन गतिविधि के लिए अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सहमति को अप्रासंगिक माना जाता है। यहां तक कि दो नाबालिगों द्वारा सहमति से की गई यौन गतिविधि भी अधिनियम के तहत दोनों को ही जिम्मेदार बनाती है, चाहे दोनों पीड़ित भी हैं।

पॉक्सो लिंग–तटस्थ है – यह 18 वर्ष से कम आयु के सभी लिंगों के बच्चों को यौन गतिविधियों के लिए सहमति देने में असमर्थ मानता है।

अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही आप उससे विवाहित हों।

## सबूत का विपरीत बोझ

- कोई भी व्यक्ति जो यह जानकारी प्राप्त करता है कि पॉक्सो के तहत कोई अपराध पहले ही किया जा चुका है या उसे आशंका है कि पॉक्सो के तहत कोई अपराध किया जा सकता है, उसे स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई ('एसजेपीयू') को यह जानकारी देनी होगी – बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नामित पुलिस इकाई। इसमें चिकित्सक, थैरेपिस्ट, या परामर्शदाता जैसे चिकित्सा पेशेवर शामिल हैं। ऐसी घटनाओं की सूचना न देना एक आपराधिक अपराध है।

- इसके अलावा, मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो और फोटोग्राफिक सुविधाओं को किसी भी माध्यम में किसी भी सामग्री (वस्तुओं) या वस्तु (वस्तुओं) की रिपोर्ट करनी चाहिए, जो स्थानीय पुलिस या एसजेपीयू को एक बच्चे का यौन शोषण कर सकती है।

- यौन अपराध का ''ज्ञान'' ''जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने'' के दायित्व तक सीमित नहीं है।

- यह जानना महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा पेशेवरों का स्पष्ट कर्तव्य है कि वे किसी भी पॉक्सो अपराध की रिपोर्ट करने से पहले सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करें, जिसके बारे में उन्हें जानकारी है। एक पीड़ित जो किसी भी इलाज के लिए एक चिकित्सा सुविधा के पास जाता है, उसे इलाज से इंकार नहीं किया जा सकता है, और न ही इलाज में देरी हो सकती है, इस आधार पर कि उन्होंने मामला दर्ज नहीं किया है या अस्पताल आवश्यक उपचार प्रदान करने से पहले मामला दर्ज करना चाहता है।

## सबूत का विपरीत बोझ

जबकि आपराधिक कानून आमतौर पर यह मानता है कि एक आरोपी व्यक्ति ''दोषी साबित होने तक निर्दोष है,'' पॉक्सो इसे उलट देता है और आरोपी पर यह साबित करने के लिए सबूत का बोझ डालता है कि वह उन अपराधों के लिए दोषी नहीं है जिन पर उस पर आरोप लगाया गया है। हालांकि, इस तरह की धारणा केवल एक बार ट्रायल शुरू होने/आरोप तय होने के बाद शुरू होती है।

यह एक अनुमान है कि आरोपी खंडन कर सकता है। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की कम सजा दर के कारण सबूत के इस रिवर्स बोझ को पॉक्सो में शामिल किया गया था।

कई उच्च न्यायालयों ने विशेष रूप से माना है कि जमानत के स्तर पर सबूत का विपरीत बोझ लागू नहीं होगा – जमानत देने के प्रयोजनों के लिए आरोपी को ''दोषी साबित होने तक निर्दोष'' माना जाएगा।

# 05

# महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण के अधिकार की संवैधानिक पृष्ठभूमिः अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण कहता हैः ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को महिलाओं के समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।'' भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में समानता का अधिकार दिया गया है और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(जी) सभी भारतीय नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें सम्मान के साथ जीने और काम करने का अधिकार शामिल है, यानी यौन उत्पीड़न से मुक्त।

यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है – ''किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाएगा।'' यह केवल महिलाओं पर लागू होता है।

''किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाएगा।''

## यौन उत्पीड़न क्या है?

- शारीरिक संपर्क
- यौन प्रकृति के किसी भी पक्ष की मांग या अनुरोध
- अश्लील टिप्पणी/बयान/टिप्पणी करना
- पोर्नोग्राफी दिखाना (या पूछना कि क्या कोई महिला पोर्नोग्राफी देखना चाहती है)
- यौन प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक, मौखिक, गैर–मौखिक आचरण
- किसी भी यौन क्रिया/व्यवहार के साथ–साथ तरजीही व्यवहार (पदोन्नति, वृद्धि, आसान काम या काम पर अनुकूल व्यवहार, एक अच्छा प्रदर्शन मूल्यांकन प्राप्त करना, असाइनमेंट/परीक्षणों के लिए अच्छे अंक प्राप्त करना) का वादा – यह वादा स्पष्ट रूप से संप्रेषित या निहित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उपकार देना ही हो, बस इतना ही देना चाहिए।
- किसी भी यौन कृत्य/व्यवहार के साथ हानिकारक व्यवहार की धमकी (यदि आप सहमत नहीं हैं तो नौकरी से निकाल दिया जाना/नौकरी से हटा दिया जाना, असाइनमेंट/परीक्षा में खराब अंक प्राप्त करना, पदोन्नत नहीं किया जाना, वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं करना, अन्य प्रोत्साहन/बोनस प्राप्त नहीं करना) – इस खतरे को स्पष्ट रूप से संप्रेषित या निहित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि धमकी को अंजाम देना ही पड़े, बस खतरा होना चाहिए।
- महिला के लिए एक शत्रुतापूर्ण/कठिन कार्य वातावरण बनाना यदि वह यौन कृत्यों में शामिल होने के लिए सहमत नहीं है, तो यौन प्रकृति की बातचीत करें।

**उपरोक्त में से कोई भी या सभी प्रकार के कृत्य एक साथ और/या अलग–अलग यौन उत्पीड़न का गठन करेंगे**

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न का अनुभव व्यक्तिपरक है, और यह संबंधित महिला पर अनुभव का प्रभाव है, न कि व्यक्ति के व्यवहार के इरादे से जो यह निर्धारित करता है कि यह यौन उत्पीड़न है या नहीं – सभी नहीं महिलाओं को यौन उत्पीड़न के रूप में कुछ अनुभव हो सकता है, लेकिन यह इसे यौन उत्पीड़न के रूप में कम मान्य नहीं बनाता है

यौन उत्पीड़न होने के लिए किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क आवश्यक नहीं है

न्यायालयों ने भी इस विचार का समर्थन किया है कि यौन उत्पीड़न एक व्यक्तिपरक अनुभव है और इसे शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ''आचरण जिसे कई पुरुष आपत्तिजनक मानते हैं, कई महिलाओं को नाराज कर सकता है,'' और, ''विशेष रूप से पुरुष दृष्टिकोण यौन उत्पीड़न को तुलनात्मक रूप से हानिरहित मनोरंजन के रूप में दर्शाता है।'' इसके अलावा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आचरण को एक अकेले में नहीं देखा जा सकता है, सामाजिक संदर्भ और नैतिकता और हिंसा के अंतर्निहित खतरों की पूरी सराहना के बिना जो एक महिला स्थिति में महसूस कर सकती है।

## What are the examples of behaviours and scenarios that constitute sexual harassment ?

- यौन रूप से विचारोत्तेजक टिप्पणी या भद्दी बातें करना – मौखिक रूप से, गैर–मौखिक रूप से/इशारों के माध्यम से, लिखित रूप में (ईमेल, व्हाट्सएप संदेश, सोशल मीडिया पर)
- गंभीर या बार–बार आपत्तिजनक टिप्पणी करना, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से संबंधित, चिढ़ाना, पहनावा शैली, रूप–रंग, मेकअप
- किसी महिला के यौन जीवन के बारे में अनुचित प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी
- सेक्सिस्ट या अन्य आपत्तिजनक तस्वीरें, पोस्टर, एमएमएस, संदेश, व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया द्वारा प्रदर्शित करना
- यौन संबंधों के इर्द–गिर्द डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना।
- किसी कर्मचारी के खिलाफ धमकी, या प्रतिशोध जो यौन रूप से अप्रिय व्यवहार के बारे में बोलता है।
- अवांछित सामाजिक निमंत्रण, यौन स्वर के साथ जिन्हें आमतौर पर छेड़खानी के रूप में समझा जा सकता है
- अवांछित यौन प्रगति जो वादे या धमकियों के साथ हो भी सकती है और नहीं भी, और स्पष्ट या निहित हो सकती है।
- शारीरिक संपर्क जैसे स्पर्श करना, चुटकी बजाना, गुदगुदी करना, बिना किसी कारण के शारीरिक रूप से बहुत करीब आना/अन्य बहाने से, किसी व्यक्ति के खिलाफ संवरना/ब्रश करना, किसी को घेरना
- किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध दुलारना, चूमना या प्यार करना (हमला माना जा सकता है)
- ठुकराए जाने के बावजूद लगातार किसी से डेट्स के लिए पूछना/प्रस्तावित करना
- लगातार किसी को यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना
- किसी व्यक्ति का पीछा करना
- किसी व्यक्ति की नौकरी को धमकाने के लिए अधिकार या शक्ति का दुरुपयोग या उसके प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए यदि वह यौन पक्ष नहीं देती है
- काम पर रखने, मुआवजे, पदोन्नति, स्थानांतरण, या जिम्मेदारी/कार्य के आवंटन के बदले में स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से यौन पक्ष का सुझाव देना
- बंद दरवाजों के पीछे किसी व्यक्ति पर यौन संबंधों के लिए झूठा आरोप लगाना और उसे कमतर आंकना।
- किसी व्यक्ति के निजी जीवन और/या जीवन शैली विकल्पों के बारे में अफवाह फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को नियंत्रित करना
- अश्लील साहित्य दिखाना (तस्वीरें, वीडियो, कहानी या यौन कृत्यों का लिखित विवरण, यौन कृत्यों वाले चित्र/कार्टून/जो यौन रूप से रंगीन या विचारोत्तेजक हैं)
- महिलाओं, या कुछ विशेष प्रकार की महिलाओं के बारे में लिंग आधारित अपमान या गाली–गलौज (जातीयता, धर्म और/या वैवाहिक स्थिति, शरीर के प्रकार आदि के आधार पर)
- यौन रूप से रंगी हुई टिप्पणी, सीटी बजाना, घूरना, यौन रूप से तिरछा और अश्लील चुटकुले, चुटकुले जो अजीब या शर्मिंदगी का कारण बनते हैं या होने की संभावना है
- किसी के द्वारा अपने निजी अंगों को आपके सामने उजागर करने या किसी महिला के शरीर के अंगों को बार–बार घूरने से वह असहज हो जाती है
- एक महिला का पर्यवेक्षक उसे ''ढीला'' करने के लिए कहेगा और वह कंपनी में उसके जीवन को ''बहुत कठिन या बहुत आसान'' बना सकता है। एक बार, उन्होंने यह भी कहा, ''मेरे पास अब आपके लिए समय नहीं है ... जब तक आप मुझे यह नहीं बताते कि आपने क्या पहना है'' एक फोन कॉल के दौरान।
- काम में सहायता की पेशकश की आड़ में, एक महिला की सहकर्मी उसके बहुत करीब बैठती, उसके बहुत करीब आती, उसकी आपत्तियों के बावजूद।

## कौन शिकायत कर सकता है?

- शिकायतकर्ता केवल एक महिला हो सकती है
- कोई भी महिला जो किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती है – उसे कार्यस्थल की कर्मचारी होने की आवश्यकता नहीं है
- अधिनियम में ''कर्मचारी'' की व्यापक परिभाषा है और इसमें वे लोग शामिल हैं जो नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर काम करते हैं – इसमें इंटर्न, अनुबंध कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी शामिल हैं।
- महिला भुगतान/वेतन/मजदूरी के लिए या एक अवैतनिक स्वयंसेवक/इंटर्न के रूप में काम कर सकती है। रोजगार की शर्तें परिभाषित या अपरिभाषित/निहित हो सकती हैं – भले ही कोई अनुबंध/लिखित या मौखिक समझौता हो और जब तक महिला काम कर रही हो
- कार्यस्थल से सीधे तौर पर जुड़ी महिलाएं, और एजेंट/ठेकेदार के माध्यम से काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं

  अधिनियम में एक महिला को भी शामिल किया गया है जो एक घर/निवास में काम कर रही है
- अधिनियम किसी भी महिला को शामिल करता है जो कार्यस्थल पर जाती है (एक ग्राहक के रूप में, एक साक्षात्कार के लिए, एक विक्रेता के रूप में, एक आगंतुक के रूप में)

## कार्यस्थल क्या है?

- अधिनियम के तहत कार्यस्थल की परिभाषा का उद्देश्य समावेशी और विस्तृत होना है, ताकि कार्यस्थल से संबंधित सभी संभावित बातचीत को शामिल किया जा सके।
- अधिनियम में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कार्यस्थल शामिल हैं। यह असंगठित क्षेत्र को किसी व्यक्ति या स्व–नियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाले किसी भी उद्यम के रूप में परिभाषित करता है जो माल के उत्पादन या बिक्री या किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, और/या कोई भी उद्यम जो 10 से कम श्रमिकों को रोजगार देता है।

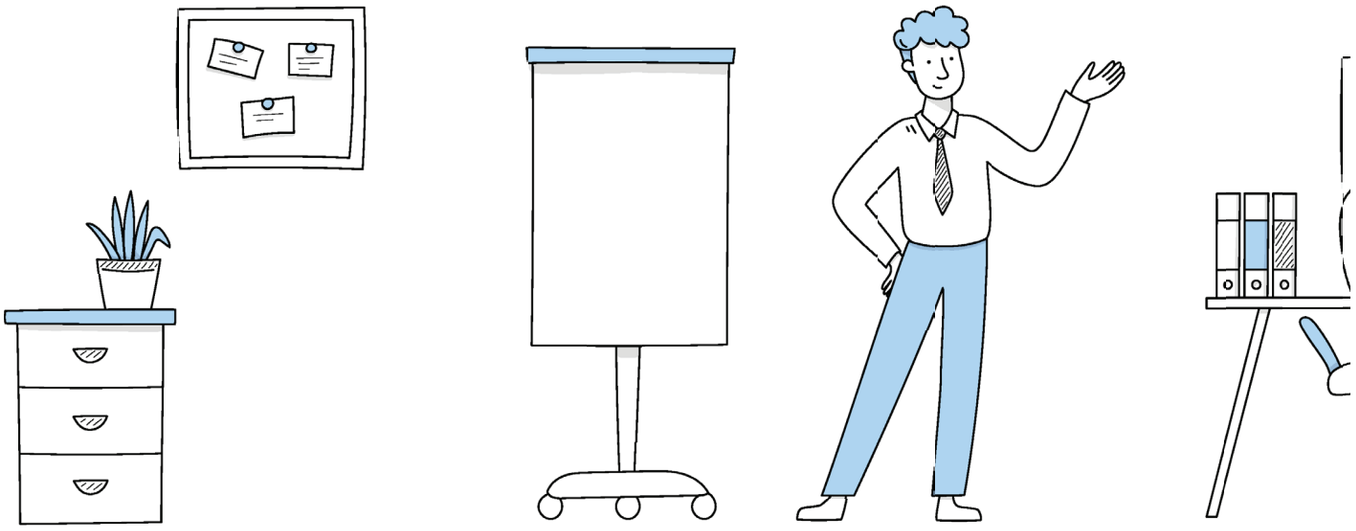

- सरकारी संगठनः सरकारी कंपनी, सरकारी निगम और सरकारी सहकारी समितियां
- निजी क्षेत्र के संगठनः उद्यम, सोसायटी, ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन, कारखाने, सभी प्रकार के कार्यालय, सेवा प्रदाता जो सेवाएं प्रदान करते हैं जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, खेल, पेशेवर, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य संबंधी या वित्तीय गतिविधियां हैं, जिनमें उत्पादन, आपूर्ति शामिल है, बिक्री, वितरण या सेवा
- चिकित्सकीय संस्थान
- खेल संस्थान/सुविधाएं
- फार्म
- काम के दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया स्थान, जिसमें नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन और काम के लिए बाहरी यात्रा शामिल है
- एक घर – घरेलू कामगारों और कर्मचारियों दोनों के लिए जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जिसका कार्यालय उनके निवास का हिस्सा है, या जहां किसी के घर पर काम की बातचीत होती है।
- इस अधिनियम में आईटीआई/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों सहित विश्वविद्यालय/कॉलेज की सेटिंग में छात्रों और सभी व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। एक उच्च शिक्षण संस्थान के भीतर कुछ भी और सब कुछ शामिल है – पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कक्षाएं/सभागार, क्षेत्र, छात्रावास, भोजन कक्ष, पार्किंग क्षेत्र
- इस अधिनियम में ऑनलाइन कार्यस्थल, और यौन उत्पीड़न भी शामिल है जो ऑनलाइन हो सकता है – वीडियोकांफ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, चौट रूम/बोर्ड, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से। ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के कुछ रूपों का दस्तावेजीकरण किया गया है जो बिना शर्ट के काम में भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं शराब के नशे में वर्क कॉल्स, वर्क कॉल पर महिला कॉलेजों के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं
- अधिनियम में ऐसे कार्यस्थल शामिल हैं जो शाखाओं, राज्यों, संभागों में फैले हुए हैं – एक ही कार्यस्थल से किसी अन्य शाखा/मंडल/दूसरे राज्य में काम करने वाले व्यक्ति का यौन उत्पीड़न, अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न होगा।

## किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है?

कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा सकता है, अर्थात अपराधी पुरुष या महिला हो सकता है

किसी महिला द्वारा किसी सहकर्मी या उससे कनिष्ठ व्यक्ति के खिलाफ या कार्यस्थल के किसी भी स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है

तीसरे पक्ष जो कार्यस्थल से जुड़े नहीं हैं (उदाहरण के लिए, विक्रेता) पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन वे खुद को कार्यवाही के अधीन नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं

## अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए क्या तंत्र हैं?

अधिनियम प्रत्येक कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा एक आंतरिक समिति ('आईसी') की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं

### आईसी की संरचना

अधिमानतः कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत एक महिला

**पीठासीन अधिकारी – 1**

कर्मचारी, आदर्श रूप से महिलाओं के मुद्दों और/या कानूनी ज्ञान के कुछ अनुभव के साथ

**सदस्य – कम से कम 2**

एक गैर सरकारी संगठन/महिला अधिकार संगठन से (उनकी भूमिका पीड़ित के खिलाफ किसी भी संस्थागत पूर्वाग्रह का मुकाबला करना और उनकी डोमेन विशेषज्ञता को जोड़ना है)

**बाहरी सदस्य – 1**

'आईसी सदस्यों में कम से कम आधी महिलाएं होनी चाहिए

- आईसी की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- किसी भी जांच के लिए पीठासीन अधिकारी सहित कम से कम तीन आईसी सदस्य उपस्थित होने चाहिए
- आईसी होने का विचार यह है कि संगठन को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यह अधिनियम नियोक्ता पर यौन उत्पीड़न को रोकने और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का निवारण करने का दायित्व रखता है
- न्यायालयों ने आईसी का गठन करने में विफल रहने के लिए कार्यस्थलों पर जुर्माना लगाया है
- यदि कोई नियोक्ता एक आईसी बनाने में विफल रहता है या किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहता है, या दर्ज और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वे 50,000/– रुपये तक के जुर्माने के साथ दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

## शिकायत तंत्र क्या हैं?

- पीड़ित महिला यौन उत्पीड़न की घटना (घटनाओं) की तारीख से तीन महीने के भीतर आईसी को लिखित रूप में शिकायत कर सकती है। शिकायत दर्ज करने का समय जहां आवश्यक हो, दर्ज किए गए कारणों के साथ तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

- यदि यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं, तो महिला अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती है

- लिखित शिकायत में यौन उत्पीड़न की प्रत्येक घटना का विवरण होना चाहिए, जिसमें प्रासंगिक तिथियां, समय और स्थान, अपराधी(ओं) का नाम, पार्टियों के बीच कार्य संबंध, और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे/एहसान/शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण की स्थितियाँ। कार्यस्थल द्वारा कार्यस्थल यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रबंधन करने के लिए नामित व्यक्ति को शिकायतकर्ता की इच्छा होने पर शिकायत के लिखित रूप में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

- सामना किए गए उत्पीड़न के सभी कारणों और शिकायत में ही विवरणों के सभी विवरणों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आईसी कार्यवाही और उसके बाद किसी भी अन्य कार्यवाही का आधार बनता है।

- सबूत इकट्ठा करते समय, अपराधी के व्यवहार के पैटर्न को स्थापित करने के तरीकों को देखें। अपने फोन, व्हाट्सएप चौट, ईमेल, एसएमएस आदि के सभी स्क्रीनशॉट को देखें और अपनी शिकायत के लिए जितना हो सके उतना सबूत संलग्न करें। इसमें कोई भी बातचीत शामिल है जहां आपने लोगों को उत्पीड़न के बारे में बताया, पॉक्सो अधिनियम/आईसी आदि के बारे में कोई बातचीत, कोई भी बातचीत जहां आपके मित्र/रिश्तेदार आपको शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे/उत्पीड़क के व्यवहार को किसी भी तरह से संबोधित कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं उत्पीड़क के साथ कोई भी बातचीत जिसका उपयोग आप कथित व्यवहार के किसी भी सबूत को दिखाने के लिए कर सकते हैं।

- यदि ऐसा करने में शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण महिला द्वारा स्वयं शिकायत नहीं की जा सकती है, तो शिकायतकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति महिला की ओर से शिकायत कर सकता है

- सुलहः यदि शिकायतकर्ता चाहे तो वह अपराधी के साथ सुलह की मांग कर सकती है। कोई भी मौद्रिक समझौता सुलह का आधार नहीं हो सकता। यह भी महत्वपूर्ण है कि आईसी सुलह को प्रोत्साहित न करे और शिकायतकर्ता को अधिनियम के तहत उसके सभी अधिकारों के बारे में सूचित करे। यदि कोई समझौता हो जाता है, तो आईसी को इसे लिखित रूप में रिकॉर्ड करना होगा और इसे नियोक्ता को अग्रेषित करना होगा।

# 06

# भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध

निम्नलिखित कार्य एक आपराधिक अपराध का गठन करते हैं, यदि एक पुरुष द्वारा एक महिला के प्रति/के लिए किया जाता है:

- कोई भी अवांछित शारीरिक संपर्क/स्पर्श, यानी कोई भी कार्य जिसमें पुरुष द्वारा किसी महिला के शरीर के किसी अंग के साथ स्पष्ट यौन प्रकृति का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संपर्क किया जाता है
- यौन प्रकृति का उडाना/शोर करना
- अवांछित मौखिक टिप्पणियां – सीधे तौर पर यौन प्रकृति की, या यहां तक कि यौन स्वर होना/यौन रूप से रंगीन होना
- यौन पक्ष के लिए पूछना
- दूसरों की सहमति के बिना अपना नग्न शरीर दिखाना
- किसी को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना
- किसी को निजी स्थान पर कपड़े उतारते हुए देखना
- किसी महिला को कोई भी निजी कार्य करते हुए देखना (जहां उसके निजी अंग उजागर होते हैं, वह शौचालय का उपयोग कर रही है, वह यौन क्रिया में संलग्न है, और/या जब वह देखे जाने की उम्मीद नहीं करती है) – या तो स्वयं या किसी और के माध्यम से
- अपराधी के साथ निजी कृत्य में लिप्त एक महिला के किसी भी फोटो/वीडियो/वॉयस रिकॉर्डिंग को किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रसारित करना, जहां गोपनीयता अपेक्षित है। भले ही ऐसी रिकॉर्डिंग को कैप्चर करने की अनुमति दी गई हो, लेकिन प्रसार एक अपराध है।
- सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन करना
- एक महिला का अनुसरण करना
- महिला द्वारा अरुचि के स्पष्ट संकेत के बावजूद एक महिला के साथ व्यक्तिगत बातचीत करने का बार–बार प्रयास करना
- इंटरनेट, ईमेल, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने वाली महिला पर नजर रखता है

- बलात्कार – अ. सहमति के बिना हो सकता है, ब. सहमति से, लेकिन महिला की इच्छा के विरुद्ध, जहां महिला धमकी, जबरदस्ती, या किसी अन्य कारण से सहमति दे सकती है जिसमें ऐसी सहमति उसकी इच्छा के बिना प्रदान की जाती है।
- निम्नलिखित को बलात्कार का अपराध माना जाएगाः अ. लिंग, शरीर के अन्य अंगों, वस्तु द्वारा योनि में प्रवेशय ब. लिंग, शरीर के अन्य अंगों, वस्तुओं द्वारा गुदा में प्रवेशय स. महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर मुंह लगाना, द. एक महिला को अपना मुंह उसके खुद के/किसी और के शरीर के अंग पर लगाना।
- सभी लिंगों के वयस्कों के बीच निजी तौर पर सहमति से यौन गतिविधि को दंडित नहीं किया जाता है। इसे पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 द्वारा अपराध घोषित किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था। एक वयस्क को अपने साथी को चुनने का अधिकार है और लिंग और यौन अभिविन्यास के बावजूद, अपने साथी (साथियों) के साथ अपने संबंधों की रूपरेखा को परिभाषित करने का भी अधिकार है।
- धारा 377 के तहत, गैर–सहमति वाली यौन गतिविधि अभी भी बहुत अधिक अपराधिक है

| अपराध | विवरण | परिणाम – जमानत/गिरफ्तारी |
|---|---|---|
| बलात्कार के लिए सजा (एस. 376) | 1. किसी महिला के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में लिंग का प्रवेश, किसी भी हद तक, या यदि उसे ऐसा करने के लिए किया जाता है<br>2. किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में लिंग के अलावा किसी अन्य वस्तु या शरीर के किसी हिस्से को सम्मिलित करना या यदि वह उसे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है<br>3. एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर ताकि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अन्य हिस्से में प्रवेश हो सके,<br>4. अगर वह अपना मुंह उसकी योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या उसे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसा करता है | गैर–जमानती, जीवन भर के लिए 7 साल की सजा<br>पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, जेल का प्रबंधन/कर्मचारी, महिला/बच्चों की संस्था, एक रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक, अधिकार की स्थिति में अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने पर सजा अधिक कठोर है। सजा भी कड़ी है यदि सांप्रदायिक हिंसा की घटना के दौरान बलात्कार होता है, यदि अपराधी को पता है कि पीड़िता 16 वर्ष से कम उम्र की है/कि पीड़िता गर्भवती है, या यदि वह किसी महिला से बलात्कार करता है जिसे वह जानता है कि वह अनुमति नहीं दे सकती। एक ही महिला से बार–बार बलात्कार करने, या किसी महिला को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने या उसके जीवन को खतरे में डालने वाले अपराधियों के लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान है। |

| अपराध | विवरण | परिणाम – जमानत / गिरफ्तारी |
|---|---|---|
| किसी महिला की मृत्यु कारित करने या उसे अलैगिंक अवस्था में रखने के लिए दंड (एस. 376ए) | बलात्कार के परिणामस्वरूप चोट जो महिला की मृत्यु का कारण बनती है या महिला को लगातार अलैंगिक अवस्था में रहने का कारण बनती है | व्यक्ति के शेष जीवन के लिए 20 वर्ष की अवधि से आजीवन तक कारावास |
| अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग (एस. 376बी) | पति द्वारा पत्नी का बलात्कार जब वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं – इसमें अदालत के आदेश के साथ और बिना दोनों अलगाव शामिल हैं | 2–7 साल की कैद. जुर्माना |
| अधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा संभोग (एस. 376सी) | एक व्यक्ति द्वारा शक्ति / विश्वास और बलात्कार की स्थिति का दुरुपयोग, जो हैं:<br>• अधिकार की स्थिति में या किसी महिला के साथ विश्वास के संबंध में<br>• एक लोक सेवक<br>• जेल या हिरासत संस्था के कर्मचारी (अनाथालय, निरीक्षण गृह, बाल गृह, नारी निकेतन आदि)<br>• अस्पताल का प्रबंधन / कर्मचारी | 5–10 साल की कैद जुर्माना |
| सामूहिक बलात्कार (एस. 376डी) | एक समूह में दो या दो से अधिक लोगों द्वारा एक महिला का बलात्कार | व्यक्ति के शेष जीवन के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए आजीवन कारावास जुर्माना, जो चिकित्सा व्यय और पीड़ित के पुनर्वास को कवर करने के लिए एक उचित राशि होनी चाहिए |
| दोहराए जाने वाले अपराधी (एस. 376ई) | एक आदमी जिसे पहले बलात्कार, एक महिला के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वह एक अलैगिंक अवस्था में है या उसकी मृत्यु हो गई है, या सामूहिक बलात्कार | व्यक्ति के जीवन की शेष अवधि के लिए कारावास, या मौत की सजा |

'यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मामलों की संवेदनशील प्रकृति और पीड़ित / शिकायतकर्ता की गोपनीयता को देखते हुए, मीडिया को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना ऊपर सूचीबद्ध प्रकार के मामलों में होने वाली कार्यवाही के विवरण पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं है।

# 07

# महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986

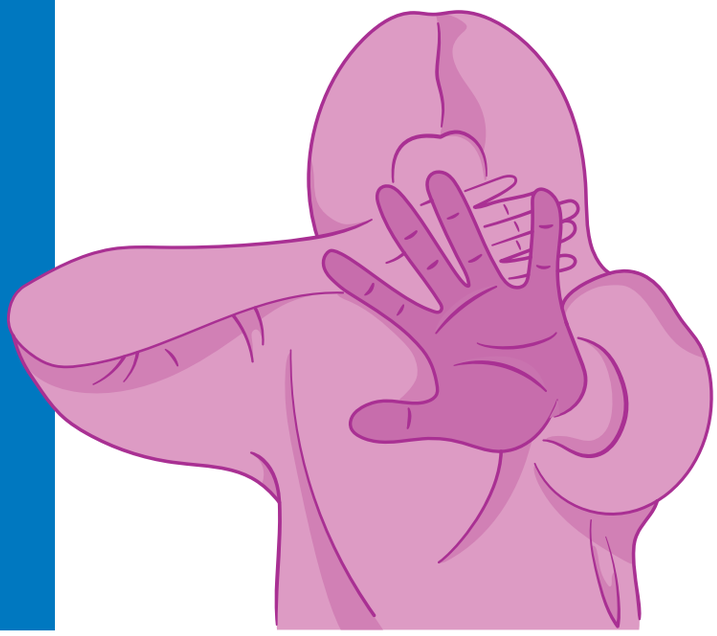

## महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है?

किसी भी तरह से एक महिला की आकृति, उसके रूप या उसके शरीर को इस तरह से चित्रित करना जो महिलाओं के लिए अभद्र, अपमानजनक या महिलाओं को बदनाम करने वाला हो या सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाए, यानी एक उचित व्यक्ति को यह एक महिला के लिए अपमानजनक लगेगा।

## अपराध क्या होता है?

- किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित करना जिसमें महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व हो (जैसा कि ऊपर वर्णित है),
- प्रकाशित होने के कारण विज्ञापन जिसमें कोई भी सामग्री शामिल है जो अभद्र प्रतिनिधित्व के रूप में निषिद्ध है,
- विज्ञापन सामग्री के प्रकाशन में भाग लेना/व्यवस्थित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व हो,
- किसी भी विज्ञापन का प्रदर्शन जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व हो।
- किसी भी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति की बिक्री जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व होता है,
- किसी भी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति को वितरित (यहां तक कि मुफ्त में) जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व हो,
- किसी भी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व हो, को किराए पर देना,
- डाक/कूरियर आदि द्वारा कोई पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व हो, भेजें।

## किस मीडिया/रूपों में महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व है, जिसे अशोभनीय निषिद्ध के रूप में वर्णित किया गया है?

विज्ञापन, जिसमें टीवी विज्ञापन, समाचार पत्र/पत्रिका विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, उत्पादों की पैकेजिंग, परिपत्र, लेबल, दस्तावेज शामिल हैं:

डिजिटल

प्रतिनिधित्व

फोटोग्राफ

आकृति

लिखना

टिकट

फिल्म

पैकेज जैसे टिन, बॉक्स, कार्टन आदि।

पैम्फलेट

लेबल यानि पैकेज पर लिखा/चिह्नित कुछ भी

पुस्तकें

चित्र बनाना और रंग करना

कोई अन्य दृश्य रूप अर्थात प्रकाश, ध्वनि, धुआं आदि द्वारा।

### अधिनियम के तहत निषेध निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है

किताबें/फिल्में/ड्राइंग, फोटोग्राफ आदि या कोई अन्य मीडिया जारी किया गया, जिसे 'जनहित' के लिए प्रकाशित किया जा सकता है, जैसे कि

- विज्ञान, साहित्य, कला, विद्या के हित में
- प्रामाणिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है
- प्राचीन स्मारकों में मूर्तियां, नक्काशी, पेंटिंग (प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत)
- मंदिरों में प्राचीन स्मारकों में मूर्तियां, नक्काशी, पेंटिंग, या मूर्तियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कारें/धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी गई कारें
- फिल्मों की कुछ श्रेणियां

## किसी भी माध्यम में महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व के लिए क्या सजा है?

यदि कोई व्यक्ति या कंपनी उपरोक्त प्रश्न 2 में उल्लिखित कोई भी कार्य करती है, जो प्रश्न 4 के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी होगाः

पहली बार करने पर 2 साल की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना

यदि कोई कृत्य/अपराध दोबारा किया जाता है, तो सजा कम से कम 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना जो 1,00,000 रुपये तक हो सकता है।

## महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व के लिए कौन शिकायत दर्ज कर सकता है?

इस तरह के कृत्य से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कोई भी व्यक्ति

कोई भी मान्यता प्राप्त समाज सेवी संगठन

## मैं महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व के लिए शिकायत कैसे दर्ज करूं?

- ऐसी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करनी होती है
- संबंधित क्षेत्र के राज्य महिला आयोग में शिकायत की जा सकती है (जिसे पुलिस स्टेशन को अग्रेषित किया जाएगा)
- राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है (जिसे पुलिस स्टेशन को अग्रेषित किया जाएगा)
- शिकायत सीधे कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट से भी की जा सकती है

## उस व्यक्ति का क्या होगा जिसके खिलाफ शिकायत के तुरंत बाद ऐसी शिकायत की गई है?

ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक शिकायत लंबित होगी, लेकिन वे अधिकार के रूप में जमानत के हकदार हैं

न्यायालय के समक्ष अपराध साबित होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध जमानती है

# 08

# समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

## समान पारिश्रमिक का क्या अर्थ है?

यह समान/एकरूप कार्य के लिए समान वेतन/मजदूरी की गारंटी देता है अर्थात

- ठीक उसी काम के लिए एक महिला को उसके पुरुष समकक्ष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है
- समान प्रकृति के कार्य के लिए एक महिला को उसके पुरुष समकक्ष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है
- नियोक्ता किसी कर्मचारी को काम पर रखने के समय लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2019 में पेश किए गए श्रम संहिता ने पिछले प्रावधान का विस्तार किया है जो निर्दिष्ट करता है कि 'पुरुष' और 'महिला' के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- इसका मतलब यह भी है कि प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि के समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

- उपरोक्त में विफल रहने पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच जुर्माना या पहली बार अपराध करने पर तीन महीने से एक साल तक की कैद हो सकती है, और दूसरे अपराध या दोनों के लिए दो साल तक
- इसका मतलब यह नहीं है कि मासिक धर्म की छुट्टी, मातृत्व अवकाश, सेवानिवृत्ति, विवाह, मृत्यु आदि जैसे लिंग के कारण महिलाओं को विशेष उपचार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, या वेतन निर्धारित करते समय एक कारक के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- सभी सरकारी कार्यालयों को कर्मचारियों का एक रजिस्टर/रिकॉर्ड और ऐसे कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि का रखरखाव करना चाहिए
- असमान वेतन दिए जाने की शिकायत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास हो सकती है
- विभिन्न राज्य सरकारों का भी अपना विवाद निवारण तंत्र है

# WOMEN'S HELPLINE

**1091**

**181**

## प्लान इंडिया के बारे में

प्लान इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है, जो बाल अधिकारों को बढ़ावा देने और लड़कियों को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है। इस तरह कमजोर एवं वंचित बच्चों तथा उनके समुदाय के जीवन दीर्घकालिक प्रभाव का निर्माण किया जाता है। 1979 से प्लान इंडिया और इसके सहयोगियों ने लाखों बच्चों एवं युवाओं का जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्हें सुरक्षा, अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वस्थ माहौल, आजीविका के अवसर प्राप्त करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया है।

प्लान इंडिया, एक स्वतंत्र विकास एवं मानवतावादी संगठन प्लान इंटरनेशनल फेडरेशन का सदस्य है, जो बाल अधिकारों एवं लड़कियों के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देता है। प्लान इंटरनेशनल 75 से अधिक देशों में सक्रिय है।

www.planindia.org

**PLAN INDIA**

1, Community Centre, Zamrudpur, Kailash Colony Extension
New Delhi - 110048, India
Tel: +91-11-46558484, Fax: +91-11-46558443
Email: planindia@planindia.org

PlanIndiaNGO | Plan_India | PlanIndia | Plan_India